तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/10788/1999/करौली बालकृष्ण बनाम द्वारिका के का0मु0 व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–

श्री हिमान्शु सोगानी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 16–07–2019

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपजिला कलक्टर हिण्डौन के आदेश दिनांक 07–09–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 135/1997 बउनवान रामजीलाल बनाम गिर्राजप्रसाद में की जाने वाली कार्यवाही को वाद संख्या 316/1991 बउनवान राधारमण बनाम केदारलाल में अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आक्षेपित आदेश को त्रुटीपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि वाद संख्या 135/1997 जिसका मूल नम्बर 48/1994 था जो कि वर्ष 1984 से विचाराधीन है, जबकि वाद संख्या 316/1991 बउनवान राधारमण बनाम केदारलाल वर्ष 1991 में दायर किया गया है, जो कि पश्चातवर्ती वाद है। विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत पूर्ववृत्ति दावे को धारा 19 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत स्थगित रखे जाने का प्रश्नधीन आदेश पारित किया है, जो कि अनियमित होकर निरस्त किए जाने योग्य है। उनका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/10788/1999/करौली बालकृष्ण बनाम द्वारिका के का0मु0 व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आगे कहना है कि वाद संख्या 135/1997 संयुक्त कृषि जोत खसरा संख्या 11/1966 के विभाजन हेतु है जिसमें विधिवत अग्रिम कार्यवाही होकर प्रारम्भिक डिक्री भी जारी हो चुकी है। उनका तर्क है कि वाद संख्वया 316/1991 में वाद कारण एवं पक्षकार भिन्न है और उक्त वाद वर्णित कारण के आधार पर वाद संख्या 135/1997 को स्थगित नहीं किया जा सकता। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–09–1999 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रेकार्ड तथा आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन ने आक्षेपित आदेश दिनांक 7–9–1999 निम्नानुसार पारित किया हैः– **''प्रार्थी राधारमण, शिवचरण पिसरान रामदयाल रीठेली वालों एवं अन्य व्यक्यिों के फड विवादित आराजी में बताये गये है और फर्द मौका आईएलआर के अनुसार वादीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा होना स्पष्ट नहीं है। अगर इस प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया जाता है तो यह सही है कि प्रार्थी राधारमण, शिवचरण पिसरान रामदयाल द्वारा दायर दावा राधारमण बनाम केदारलाल मुकदमा नम्बर 316/1999 जो विवादित आराजी से संबंधित ही उनके द्वारा दायर किया गया है, बेसूद हो जाएगा। ऐसे हालात में हम यह उचित व न्यायसंगत मानते है कि मुकदमा राधारमण बनाम केदारलाल के निर्णय तक यह प्रकरण स्टे रखा जावे, अन्यथा फरीकेन के दरम्यान अनावश्यक रूप से आगे और पेचीदगियां बढेगी और मुकदमेबाजी होगी। अतः आदेश है कि मुकदमा नम्बर 135/1997 स्टे किया जाता है एवं मुकदमा नम्बर 316/1991 राधारमण बनाम केदारलाल के साथ हमफीता रखने के आदेश दिए जाते है।''** आक्षेपित आदेश के अध्ययन से स्पष्ट है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/10788/1999/करौली बालकृष्ण बनाम द्वारिका के का0मु0 व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही विवादित आराजी के संबंध में भिन्न–भिन्न पक्षकार द्वारा बाद में दायर किए गए वाद को पूर्ववर्ती दावे के निस्तारण तक उसकी कार्यवाही को स्थगित करते हुए दोनों दावों को समेचित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया उक्त निष्कर्ष विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित एवं न्यायसंगत है तथा दोनों दावों को समेकित करने से पक्षकारान के मध्य भविष्य में और जटिल कानूनी पेचीदगियां की सम्भावना से बचा जा सकेगा। बहस के दौरान प्रार्थी पक्ष ने आक्षेप उठाया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूववर्ती वाद संख्या 48/1984 की कार्यवाही में आज्ञा दिनांक 11–12–1995 से वादी का दावा खारिज कर दिए जाने के बाद अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश होने पर अपीलीय न्यायालय ने मामले को पुनः प्रेषित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में विचारण न्यायालय ने प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए वाद संख्या 135/1997 दर्ज कर विचारण प्रारम्भ किया है। इस प्रकार वाद संख्या 316/1991 पूर्ववर्ती वाद तथा वाद संख्या 135/1997 पश्चातवर्ती पढा जायेगा। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण उसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–09–1999 को यथावत रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख़ हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/10788/1999/करौली बालकृष्ण बनाम द्वारिका के का0मु0 व अन्य**	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए